हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

50 वीं बोर्ड बैठक

(परिचालन विधि)

दिनांक 20.12.2010

का

कार्यवृत्त

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की परिचालन विधि से 50 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा:–

विषयः सिरीन टूरिज्म वेन्चर्स हेतु ग्राम धुधत्याणी तल्ली, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला, टिहरी गढ़वाल में विभिन्न खसरा संख्या के कुल 1.863 एकड़ भूमि का भू–उपयोग कृषि से पर्यटन किया जाना।

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न शासन के पत्र संख्या– 2620 / वी / 10–15 (एल.यू.सी) / 10 दिनांक 02.11.2010 एवं शासन को प्रेषित कार्यालय पत्र संख्या–224 / प्रशा02(ख)–08 / 2008–09 दिनांक 13.05.2010 जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय से शासन को अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग कृषि से पर्यटन किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऋषिकेश महायोजना भाग 'ब' –2011 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग कृषि है। स्थल ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है तथा स्थल पर पंहुच मार्ग 12.00 चौड़ा है। गैर आवासीय भवनो की स्वीकृति हेतु 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग होना आवश्यक है जो मानकों के अनुसार है। ऋषिकेश महायोजना भाग–'ब' के अनुसार पर्यटन भू–उपयोग में होटल निर्माण स्वीकार्य भू–उपयोग के अन्तर्गत है (संलग्नक–ए)। शासनादेश संख्या– 1205 / वी/ 3ग–2005–11 (एल.यू.सी) / 2005 दिनांक 12.04.2005 (संलग्नक–बी) के अनुसार कृषि से पर्यटन में भू–उपयोग परिवर्तन अनुमन्य है। शासनादेश के अनुसार कृषि से पर्यटन भू–उपयोग में परिवर्तन अनुमन्य है, जो शासन मे निहित है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन विधि अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अध्यक्ष, न0पा0प0 हरिद्वार, अध्यक्ष, न0पा0प0,ऋषिकेश, अध्यक्ष, न0पं0मुनिकीरेती, प्रशासक, न.पं.रानीपुर–हरिद्वार,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून।

उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0 20.12.10

जिलाधिकारी, हरिद्वार।

अध्यक्ष / आयुक्त
गढ़वाल मण्डल